सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 142/17 **निर्णय दिनांकः 28.06.2019**

1. धनसिंह पुत्र तखतसिंह जाति राजपूत निवासी ढिगी तहसील तारानगर जिला चूरू। (फौत)

1/1. सतोष कंवर पत्नी धनसिंह
1/2. सुखवीर सिंह
1/3. ओमवीर सिंह
1/4. गजेन्द्र सिंह
1/5. कृष्ण सिंह
1/6. कौशल्या

पिसरान धनसिंह

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये पैरोकार राज।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 20—05—1982
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री अमरदीप सिंह, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के आदेश दिनांक 20—05—1982 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व में आवंटित भूमि का आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने भूमिहीन श्रेणी में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र की तमाम जॉच होने के पश्चात् आवंटन का पात्र मानते हुए सलाहकार समिति की राय से दिनांक 20—05—1982 को 1 एलकेडी के मुरब्बा नम्बर 7/18 में 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि का पात्र मानते हुए आवंटन किया गया तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। अपीलांट द्वारा आराजी जैर का कब्जा प्राप्त नहीं हो सका क्योंकि उक्त भूमि पूर्व में ही अन्य व्यक्ति को आवंटित थी।

इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है, जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20—05—1982 के विरूद्व अपील दिनांक 26—04—17 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में अपीलाधीन आदेश के तहत सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 18—02—1976 को अपीलांट को 18 बीघा 11 बिस्वा भूमि के लिये पात्र धोषित किया गया था तथा दिनांक 20—05—1982 को जरिये लॉटरी आवंटन स्वीकार किया गया परन्तु अपीलांट ने आगामी 35 वर्षो तक न आवंटित रकबे की बकाया किश्तें वगैर जमा करवाने का कोई प्रयास किया गया तथा न ही कब्जा प्राप्त किया गया। इतनी लम्बी अवधि के दौरान विवादित भूमि पर अन्य लोगों के अधिकार स्थापित होना स्वाभाविक है। 35 वर्ष के विलम्ब के बाबत् अपीलांट द्वारा बताये गये कारण संतोषजनक नहीं है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील मियांद बाहर होने के कारण खारिज की जाती है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 28.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर